

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां / 2019/ 2099


दिनांक: 24/7/19

—:आन्तरिक अंकेक्षण संशोधन कार्यक्रम आदेश:—

कार्यालय के आदेश क्रमांक 1548 दिनांक 11.07.2019 से जारी आन्तरिक अंकेक्षण कार्यक्रम में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है.-

क्र० सं०	अंकेक्षण दल प्रभारी/ सदस्य व जोन का नाम	कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना है	आन्तरिक अंकेक्षण अवधि	आदेशित कार्यक्रम	संशोधित कार्यक्रम
1	श्री उत्तम चन्द, AAO I मो० नं० 9252240736 दल सदस्य रश्मि जोनवाल, क० लेखाकार कोटा-प्रथम दल	चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा	04/16 से 03/19	15.07.19 से 23.07.19	15.07.19 से 14.08.19

अतः निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प-6(10) वित्त/अंकेक्षण/2015 दिनांक 13.07.2017 के द्वारा जारी आदेशों में दिये गये निर्देशानुसार अंकेक्षण कार्य निर्धारित अवधि में सम्पादित कर जाच रिपोर्ट निर्धारित समय पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवायेगे।


23/7/19


वित्तीय सलाहकार,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 24-7-2019

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जा.का./2019/ 2099

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक (जन स्वा०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
2. निदेशक (वित्त) एनएचएम राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-कोटा।
4. श्री उत्तम चन्द, AAO I, श्रीमती रश्मि जोनवाल, क० लेखाकार, जोन-कोटा को पालनार्थ।
✓ प्रभारी सर्वर रूम को दी जाकर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करे।


23/7/19

वित्तीय सलाहकार,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर